मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
Website:www.mpmandiboard.gov.in E-mail:programmer.mpmandiboard@gmail.com Tell:0755-4207541

क्रमांक/बी–5/2/एगमार्कनेट/2020–21/ 180 भोपाल दिनांक 14 सितम्बर 2021

प्रति,

संयुक्त संचालक/उप संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय–भोपाल/उज्जैन/ग्वालियर/सागर/जबलपुर।

विषयः–एगमार्कनेट पोर्टल पर डाटा रिर्पोटिंग के संबंध में।

संदर्भः–कार्यालयीन पत्र क्रमांक/बी–5/2/एगमार्कनेट/2020–21/170 दिनांक 24/08/2021.

–0–

उल्लेखित विषय में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। जिसमें श्री बी.के.प्रुष्टि, उप कृषि विपणन सलाहकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, फरीदाबाद, हरियाणा के ईमेल दिनांक 09 अगस्त 2021 की छायाप्रति संलग्न कर आपकी और प्रेषित करते हुये भारत सरकार के एगमार्कनेट पोर्टल पर प्रदेश की चयनित 09 मण्डी समितियों (पिपरिया/नीमच/कटनी/करेली/गुना/गंजबासोदा/देवास/दमोह/अशोकनगर) के द्वारा दिनांक 01/04/2011 से दिनांक 30/06/2021 तक की अवधि में गई **जिन्स–चना** की दैनिक आवक एवं भाव की डाटा रिर्पोटिंग की जानकारी एक्सेल शीट की साफ्टकापी में संलग्न प्रेषित कर उनका संबंधित मण्डी के मूल रिकार्ड से सत्यापन करने एवं इसी अवधि की Missing data Entry अर्थात प्रविष्टि से छूटी हुई जानकारी की प्रविष्टि कार्य पूर्ण करते हुये मण्डी बोर्ड मुख्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं।

उपरोक्त जानकारी प्राप्ती की समीक्षा में यह पाया गया कि आपके अंचल की उपरोक्त सभी 09 मण्डी समितियों के द्वारा **जिन्स चने** की उपरोक्त जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण भारत सरकार को जानकारी प्रेषित की जाना संभव नहीं हो पा रहा है। जबकि प्रश्नाधीन जानकारी की प्राप्ती हेतु भारत सरकार के स्थानीय कार्यालय द्वारा निरंतर स्मरण कराया जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि इन मण्डी समितियों के सचिव द्वारा भारत सरकार के निर्देशों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, यह स्थिति अत्यंत आपत्तिजनक एवं लापरवाही का द्योतक है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि भारत सरकार की मंशा के अनुरूप उपरोक्त अवधि की प्रविष्टि से छूटी हुई **जिन्स चने** की आवक तथा भाव की जानकारी की प्रविष्टि का कार्य पूर्ण कराते हुये सम्पूर्ण जानकारी का मण्डी के मूल रिकार्ड से सत्यापन कराते हुये मय सचिव, मण्डी समिति के हस्ताक्षर, पद मुद्रा के प्रमाण–पत्र के साथ मय एक्सेल शीट पर ही साफ्टकापी में 03 दिवस की समय सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रबंध संचालक द्वारा आदेशित।

14/09/21

(सुनील कुमार सक्सैना)
अपर संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक / बी–5 / 2 / एगमार्कनेट / 2020–21 / 181 भोपाल दिनांक 14 सितम्बर 2021

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(01) निज सहायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल (म.प्र.)।

(02) श्री बी.के.प्रुष्टि, उप कृषि विपणन सलाहकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, फरीदाबाद, हरियाणा का ईमेल दिनांक 09 अगस्त 2021 के संदर्भ में।

(03) श्री मुशर्रफ सुल्तान, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक सह एगमार्कनेट योजना समन्वयक, भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, सी.विंग, आधारतल, विंध्याचल भवन, भोपाल।

(04) उप कृषि विपणन सलाहकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, भारत सरकार, स्थानीय कार्यालय, आर. 24, जोन–1, एम.पी.नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011।

(05) सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति पिपरिया / नीमच / कटनी / करेली / गुना / गंजबासोदा / देवास / दमोह / अशोकनगर :– उपरोक्त निर्देशों के परिपालन में वांछित जानकारी निर्धारित समय सीमा 03 दिवस में अनिवार्य रुप से अपने संयुक्त / उप संचालक, आंचलिक कार्यालय के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

14/09/21

अपर संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल